प्रश्न - पत्र का नाम

रचनात्मक कौशल के गांधीवादी आयाम

राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 के आलोक में कौशल विकास पाठ्यक्रम

इकाई – तृतीय

(सम्पूर्ण सिलेबस)

ई-कंटेंट (1.15)

डॉ स्वर्णिम घोष

असिस्टेंट प्रोफेसर

अर्थशास्त्र विभाग

राजकीय महाविद्यालय जक्खिनी , वाराणसी

E-mail: swarnimghosh@gmail.com

Mobile Number - 9451218739

स्वघोषणा

(Disclaimer/Self-Declaration)

"यह सामग्री विशेष रूप से शिक्षण और सीखने को बढाने के शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है | आर्थिक/वाणिज्यिक अथवा किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग प्रतिबंधित है | सामग्री के उपयोगार्थ इसे किसी और के साथ वितरित, प्रसारित या साझा नही करेंगे और इसका प्रयोग व्यक्तिगत ज्ञान की उन्नति के लिए ही करेंगे | इस कंटेंट में जो जानकारी दी गयी है वह प्रमाणित है और मेरे ज्ञान के अनुसार सर्वोत्तम है |"

"The content is exclusively meant for academic purposes and for enhancing teaching and learning. Any other use for economic/ commercial purpose is strictly prohibited. The user of this content shall not distribute, disseminate or share it with anyone else and its use is restricted to advancement of individual knowledge. The information provided in this e-content is authentic and best as per my knowledge."

#सर्वाधिकारसुरक्षितविद्यादानमाहअक्टूबर2020

इकाई - तृतीय
(सिलेबस)

संसाधनों की पहचान व उपयोग, स्थानीय सामुदायिक संसाधन, सरकारी संसाधन, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, संसाधनों का उपयोग, आय व व्यय विवरण , ट्रस्ट व सोसायटी का कर निर्धारण , ऑडिट व सोशल ऑडिट

शब्द कुँजी – (KEY WORDS)

संसाधन , ट्रस्ट , सोसायटी , ऑडिट , सोशल ऑडिट

इकाई – तृतीय

- संसाधन का अर्थ तथा महत्व-

प्राकृतिक संसाधन प्रकृति प्रदत्त उपहार होते हैं, जो कि मनुष्य कि भौतिक एवं अभौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं | कोई भी पदार्थ जो कि मूल्यवान और मनुष्य के लिए उपयोगी हो, संसाधन कहलाता है | संसाधन किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के आधार का निर्माण करते हैं, जोकि मानवीय जीवन और विकास हेतु आवश्यक है| दूसरे शब्दों में, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है , आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य होती है ; संसाधन कहलाती है | संसाधनों को केवल प्राकृतिक उपहार समझना गलत है | संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है |

संसाधनों की पहचान तथा उपयोग – मानव के लिए संसाधन अत्यंत ही महत्वपूर्ण होते हैं , जो किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ की हड्डी के तरह कार्य करते हैं ,ऐसे में इन संसाधनों की पहचान एवं उनका कुशलतम उपयोग करना आवश्यक है | संसाधनों की पहचान इस प्रश्न को संबोधित करती है कि रणनीति के लिए किन संसाधनों की आवश्यकता होगी और इन संसाधनों को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाना चाहिए ?

- उत्पत्ति के आधार पर

जैव संसाधन और अजैव संसाधन

- जैव संसाधन – इन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त होता है, जैसे – मनुष्य, वनस्पतिजात, प्राणिजात, मत्स्य जीवन , पशुधन आदि |
- अजैव संसाधन – वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे – चट्टानें और धातुएं |

- समाप्यता के आधार पर

नवीनकरणीय योग्य और अनवीनकरणीय योग्य संसाधन

- नवीनकरणीय संसाधन – वे संसाधन जिन्हें भौतिक , रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है , उन्हें नवीकरण योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है | उदाहरण के लिए , सौर तथा पवन ऊर्जा , जल , वन व वन्य जीव | इन संसाधनों को सतत अथवा प्रवाह संसाधनों में विभाजित किया जाता है |

- अनवीनकरणीय योग्य संसाधन – इन संसाधनों का विकास एक लम्बे भू-वैज्ञानिक अंतराल में होता है जिन्हें बनाने में लाखों वर्ष लग जाते हैं , जैसे; खनिज और जीवाश्म ईंधन | इनमें से कुछ पुनः चक्रीय , जैसे धातुएं और कुछ संसाधन अचक्रीय होते हैं एवं एक बार के प्रयोग के साथ ही खत्म हो जाते हैं , जैसे ; ईंधन |

- स्वामित्त्व के आधार पर

  व्यक्तिगत संसाधन , सामुदायिक (स्थानीय व सरकारी) संसाधन , राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन

- व्यक्तिगत संसाधन –

  कुछ संसाधन निजी निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी होते हैं , जैसे ; बाग़, चारागाह, तालाबऔर कुओं का जल |

- स्थानीय सामुदायिक संसाधन-

  ये संसाधन स्थानीय समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं | गावँ की शामिलात भूमि (चारण भूमि , शमशान भूमि , तालाब इत्यादि) और नगरीय क्षेत्रों के सार्वजनिक पार्क , पिकनिक स्थल और खेल के मैदान , वहाँ रहने वाले सभी लोगों के लिए उपलब्ध होते हैं |

- सरकारी संसाधन – ऐसे संसाधन जो सार्वजनिक स्वामित्त्व के अंतर्गत अधिकृत होते हैं ; सरकारी संसाधन कहलाते हैं |

- राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन – राष्ट्रीय संसाधन - अगर देखा जाये तो तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय हैं | देश की सरकार को यह संवैधानिक अधिकार ही है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकती है | हम व्यक्तिगत जीवन में यदि दृष्टिपात करें तो सहज अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं कि सडकें , नहरें और रेल लाइनें व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में भी बनी हुई है | शहरी विकास प्राधिकरणों को सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया हुआ है | सारे खनिज पदार्थ , जल संसाधन , वन संसाधन , वन्य जीव , राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि और 12 समुद्री मील (22.2 किमी.) तक महासागरीय क्षेत्र (भू – भागीय समुद्र) एवं इसमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र कि संपदा है अतएव राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं |
- अंतर्राष्ट्रीय संसाधन - कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी संसाधनों को नियंत्रित करती है | तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है | इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता |

- विकास के स्तर के आधार पर

संभावी संसाधन , विकसित संसाधन भण्डार और संचित कोष

- संभावी संसाधन – ऐसे संसाधन जो किसी प्रदेश में विधमान होते हैं परन्तु इनका उपयोग नहीं किया गया है , संभावी संसाधन कहलाते हैं | उदाहरण के लिए ; भारत के पश्चिमी भाग के संसाधन |
- विकसित संसाधन भंडार – ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता भी निर्धारित की जा चुकी है , विकसित भंडार कहलाते हैं | परन्तु इन संसाधनों का विकास प्रोद्योगिकी और उनकी संभाव्यता पर निर्भर करता है |
- संचित कोष – यह संसाधन भंडार का ही हिस्सा है जिनका उपलब्ध तकनीकी ज्ञान के आधार पर प्रयोग किया जा सकता है, जैसे ; बांधों में जल , वन आदि |

- संसाधनों के अंधाधुंध इस्तेमाल से कई समस्याएं खड़ी हो रही हैं जैसे ; पर्यावरण की समस्या , ग्लोवल वार्मिंग , पारितंत्र पर खतरा , ओजोन लेयर में सुराख आदि | अतः सतत पोषणीय विकास एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए संसाधन का समान वितरण, संरक्षण , नियोजन और सही ढंग से उपयोग अति आवश्यक है | 'संसाधन हुआ नहीं करते , बना करते हैं' क्यौंकि प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधनों की विवेकपूर्ण पहचान यदि मनुष्य नहीं कर पाता तो संसाधनों का उपयोग ही नहीं संभव है | इसलिए संसाधनों की अपनी बुद्धि , विवेक , क्षमता , तकनीक और कुशलता के आधार पर पहचान कर इसका उपयोग कर मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ देश के आर्थिक विकास के लिए योजना बनाता है |
- जहाँ तक संसाधनों के संरक्षण की बात है तो मानव प्राकृतिक संसाधनों का सृष्टिकर्ता नहीं होता | अतः उन्हें प्राकृतिक संसाधनों को पूंजी समझकर उसका उपयोग करना चाहिए ण कि दुरूपयोग | संसाधनों का योजनाबद्ध , समुचित और विवेकपूर्ण उपयोग कर भविष्य के लिए बचाना ; ही संसाधनों का संरक्षण (जल संरक्षण , भूमि संरक्षण , वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण) कहलाता है |

- आय व व्यय विवरण –
- लोक आय तथा व्यय सम्बन्धी गांधी जी के विचार इस तथ्य से सम्बंधित है कि सरकार की आय एवं व्यय देश में गरीबी , असमानता जैसी विभिन्न समस्याओं के प्रभाव को कम करके विकास के मार्ग खोलने के प्रमुख उपकरण होते हैं | गांधी जी के अनुसार यदि इन उपकरणों का प्रभावशाली उपयोग हो तो तीव्र गति से विकास के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है | गांधी जी ने एक अर्थशास्त्री की भाँति इन उपकरणों के प्रभावपूर्ण उपयोग हेतु विभिन्न विचार दिए हैं | गांधी जी के अनुसार , कर वसूल करते समय सरकार को 'कर देय क्षमता के सिद्धांत ' का पालन करना चाहिए और इसप्रकार जो धन एकत्र हो उसका उपयोग समाज – कल्याण के लिए करना चाहिए तथा मितव्ययिता से कार्य करना चाहिए |गांधी जी के अनुसार , आय व व्यय विवरण के सन्दर्भ में इन नियमों का पालन करने से कर – प्रणाली अधिक न्यायपूर्ण होगी | साधनों का अपव्यय नहीं होगा तथा जन – कल्याण संभव होगा | गांधीजी कहते हैं कि –"मान लीजिये , मेरे पास व्यापार , उद्योग अथवा अन्य किसी वैधानिक तरीके से अर्जित किया गया पर्याप्त धन जमा हो जाता है , तो मुझे जानना चाहिए कि वह सारा का सारा धन मेरा नहीं है , उसमें से सिर्फ उतना ही धन मेरा है , जो मेरे सम्मानजनक जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत आता है , उस अवस्था में शेष धन का उपयोग समाज के दुसरे लोग भी करें , इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता | मुझे यह मान लेना चाहिए कि शेष धन पूरे समुदाय का है अतएव उसका उपयोग सामुदायिक कल्याण के लिए ही किया जाना चाहिए |"

- **ट्रस्ट व सोसायटी का कर निर्धारण-**

गांधी जी के सिद्धांतों में से चार प्रमुख आयाम सत्य , अहिंसा , स्वावलंबन और ट्रस्टीशिप माने जाते हैं | ट्रस्ट और सोसायटी के कर निर्धारण सम्बन्धी गांधी जी के विचारों को जानने से पहले ट्रस्ट और सोसायटी क्या है ? उनके अर्थों को समझना अतिआवश्यक है |

- **ट्रस्ट –**

ट्रस्ट पार्टियों के बीच एक समझौता होता है जिसके तहत एक पक्ष दुसरे पक्ष के लाभ के लिए संपत्ति रखता है | ट्रस्ट भारतीय ट्रस्ट अधिनियम ,1882 के तहत पंजीकृत है | एक ट्रस्ट में न्यूनतम दो सदस्य हो सकते हैं | ट्रस्ट के मामले में डीड मूल दस्तावेज होता है | ट्रस्ट के प्रबंधन बोर्ड में न्यासी होते हैं | ट्रस्ट एक ही आदमी के नियंत्रण में होता है | केंद्रीकृत होता है |

- **सोसायटी –**

सोसायटी व्यक्तियों का एक संग्रह है , जो किसी भी साहित्यिक , वैज्ञानिक या धर्मार्थ उद्देश्य की शुरुआत के लिए एक साथ आते हैं | सोसायटी को भारतीय सोसायटी अधिनियम, 1860 के तहत शामिल किया गया है | सोसायटी में न्यूनतम सात सदस्य होने चाहिए |सोसायटी के मामले में विवरण मोमेरेंडम ऑफ़ एसोसिएशन और नियम और विनियम में प्रदान किये जाते हैं | सोसायटी में लोकतांत्रिक नियंत्रण मौजूद होता है | सोसायटी के मामले में एक शासी निकाय होता है जिसमें समिति , न्यासी , परिषद् , निदेशक , राज्यपाल आदि होते हैं |

ट्रस्टीशिप की प्रेरणा गांधी जी को ईश्वास्योपनिषद से मिली थी , इस उपनिषद के पहले ही श्लोक में कहा गया है कि –

“ईश्वर इस सृष्टि के कण – कण में व्याप्त है, जड़-चेतन , राई से लेकर पहाड़ तक सब उसी का विस्तार है |सभी ईश्वरस्वरूप है |इसलिए मनुष्य को चाहिए की इस सृष्टि का भोग निष्काम भाव से , परमात्मा का अंश समझते हुए करें |पृथ्वी पर मौजूद धन –संपदा किसी की भी नहीं है इसलिए इसका उपयोग निरासक्ति भाव से करना चाहिए |”

- गांधी जी का ट्रस्टीशिप का सिद्धांत (न्यासिता का सिद्धांत) अत्यंत ही महत्वपूर्ण एवं सर्वोपरि है |गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1903 में ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था | गांधी जी के अनुसार " जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं से अधिक संपत्ति एकत्रित करता है , उसे केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करके पर्याप्त संपत्ति का उपयोग करने का अधिकार है , शेष संपत्ति का प्रबंध उसे एक ट्रस्टी की हैसियत से , उसे धरोहर समझकर , समाज कल्याण के लिए करना चाहिए | जिस उद्देश्य के लिए एक ट्रस्ट बनाया जाता है वह यह है कि एक व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति के लाभ के लिए किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति को धारण करेगा , जबकि किसी भी वैज्ञानिक , साहित्यिक , धर्मार्थ और इसी तरह के अन्य उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए समाज की स्थापना की जाती है | ट्रस्ट और सोसायटी का उद्देश्य उन्हें अलग करता है | महात्मा गांधी के अनुसार पूंजीपति और अधिक व्यावसायिक आमदनी वाले व्यक्तियों को अपनी जरूरतों को सीमित करना चाहिए तभी बची हुई आमदनी जरुरतमंदों पर खर्च की जा सकेगी | गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के मूल में यह था कि पूंजी का असली मालिक पूंजीपति नहीं बल्कि पूरा समाज होता है , पूंजीपति तो केवल उस संपत्ति का रखवाला होता है | गांधी जी ने पूंजीपतियों और धनी व्यक्तियों के साथ ट्रस्टीशिप के सिद्धांत सम्बन्धी समझ – बूझ बढ़ाने के लिए बैठकें प्रारंभ की तथा उन्हें समझा – बुझाकर ट्रस्टीशिप सिद्धांत के परिपालन के लिए मना लिया | सैंकड़ों उद्योगपतियों ने उनकी सिद्धांत से प्रेरणा लेकर समाज –कल्याण हेतु दर्जनों शिक्षण संस्थान , चिकित्सालय , तालाब आदि की निर्माण चैरिटेबल ट्रस्ट एवं फाउंडेशन के माध्यम से किया | जिसमें विप्रो के मुखिया अजीम प्रेमजी का नाम उदाहरणीय है |

- ऑडिट तथा सोशल ऑडिट - ऑडिट गलतियाँ एवं मीनमेख निकालने का उपकरण नहीं है वरन मित्र है , जो हमें नियम एवं प्रक्रियाओं में हुई चूक के बारे में बताता है एवं गलती सुधारने का मौका देता है | ऑडिट की दो प्रचलित रीतियाँ हैं यथा ; वित्तीय ऑडिट तथा सोशल ऑडिट जो आंतरिक तथा बाह्य दोनों ही रूपों में हो सकते हैं | हम जानते हैं कि लोक कल्याण हेतु सरकार द्वारा चलाये जाने वाले कार्यक्रम एवं योजनाओं को नजदीक से देखने , समझने व योजनाओं के प्रभाव को भलीभांति महसूस करने के लिए सामाजिक अंकेक्षण (सोशल ऑडिट) व मूल्यांकन अत्यंत महत्वपूर्ण है | सरल शब्दों में , सोशल ऑडिट से तात्पर्य है कि सरकार जिन सार्वजनिक धन को समाज के कल्याण के लिए खर्च करती है उस राशि के समुचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रम या योजना में लक्षित समूह के अनुभवों के आधार पर गुण – दोषों कि समीक्षा करना तथा सीख के आधार पर आगे कि दिशा तय करने के लिए लोक – केन्द्रित एक प्रक्रिया को अपनाना | सोशल ऑडिट का सैद्धांतिक आधार है – जनता की सरकार , जनता के द्वारा सरकार का संचालन | सामाजिक अंकेक्षण या सोशल ऑडिट का सीधा अर्थ है – आम आदमी द्वारा सार्वजनिक धन पर नजर रखना एवं उसकी जांच – परख करना | सोशल ऑडिट में किसी भी संगठन , संस्था या कार्यालय द्वारा कराये गये या किये जा रहे प्रत्येक कार्य विशेष के समाप्त होने पर या क्रियान्वयन के दौरान , उस कार्य से सम्बंधित सभी पहलुओं एवं तथ्यों का बारीकी से निरीक्षण किया जाता है | निरीक्षण से आशय है कि कार्य विशेष से जुड़े विभिन्न मदों पर कितना खर्च हुआ ? कार्य कि गुणवत्ता कैसी एवं कितनी रही ? प्रस्तावित कार्य सचमुच कराया गया था या नहीं ? सामाजिक परिप्रेक्ष्य में इसी प्रक्रिया को सोशल ऑडिट (सामाजिक अंकेक्षण) कहते हैं |

- **सन्दर्भ सूची -**

- सेठ, प्रवीन , थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ़ एनवायरनमेंट : ग्रीन प्लस गांधी , गुजरात विद्यापीठ , अहमदाबाद , 1994

- शर्मा , एल .टी .एंड रवि शर्मा (ऐडज). डैम्ज-ए-सेकंड लुक : डेवलपमेंट विदाउट डिसट्रकशन, एनवायरनमेंट सेल , गांधी पीस फाउंडेशन , न्यू देहली , 1981

- गुहा , रामचंद्र , महात्मा गांधी एंड द इन्वायरन्मेंटल मूवमेंट इन ए. राघुरामजू (ऐड) डिबेटिंग गांधी : ए रीडर , ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस , न्यू देलही, 2006

- रामाश्रय राय , सेल्फ एंड सोसायटी , ए स्टडी इन गांधीयन थॉट (नई दिल्ली : सेज , 1985), पृष्ठ संख्या . 36 – 38

- यंग इंडिया , 2 जून ,1927